

प्रेषक, श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग-

लखनऊ : दिनांक : 03 मार्च, 1999

विषय : नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-481/9-आ-4-99-704एन/97 टी.सी. (अ) दिनांक 30 जनवरी, 1999 में फ्री-होल्ड हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा में विस्तार।

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किये जाने हेतु सरलीकृत नीति शासनादेश संख्या-2268/9-अ-4-704एन/97 दिनांक 1.12.98 को माध्यम से लागू की गयी थी तथा इस नीति के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.1.99 को शासनादेश संख्या-481/9-आ-4-99-704 एन/97 टी.सी. (अ) दिनांक 30 जनवरी, 1999 द्वारा दिनांक 1.3.99 तक बढ़ायी गयी थी। तदनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विशेष परिस्थिति में उक्त नीति के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा को दिनांक 12 मार्च, 1999 तक बढ़ाया जाता है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या- 988/9-(1)/9-आ-4-99 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
 - (1). वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-6।
 - (1). गोपन अनुभाग-1
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव